उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण देहरादून

दिनांक : 03-08-2019

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विभागीय निष्प्रयोज्य वाहन सं0 ऐम्बेसडर UA07H2678 की नीलामी जहां है, जैसे है, के आधार पर दिनांक 28.08.2019 को अपरान्ह 01.00 P.M. बजे उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण निकट आई0टी0आई0 निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून, परिसर में की जाएगी। नीलामी में सम्मिलित होने वाले बोली दाताओं को बोली बोलने से पूर्व मु0 5000/= (पांच हजार रू0) की नकद जमानत धपराशि (रू0 4500/– रिफंडेबल व रू0 500 नॉन रिफंडेबल) दिनांक 28.08.2019 पूर्वाहन 11.00 बजे तक अग्रिम जमा करनी होगी। असफल बोलीदाताओं को रू0 4500/– नीलामी के बाद उसी दिन वापस कर दी जायेगी। अधिकतम बोलीदाता को वाहन की पूर्ण धनराशि उसी समय नकद जमा करना अनिवार्य होगा। वाहन को तीन दिवसों की भीतर कार्यालय परिसर से उठाना आवश्यक होगा। वाहन की अधिकतम बोली पर नियमानुसार टैक्स बोलीदाता को अलग से देना होगा। वाहन की स्थिति के विषय में तथा नियम व शर्तों की जानकारी किसी भी कार्यदिवस में नजारत अनुभाग से या मोबाइल नं0 9456554488 पर प्राप्त की जा सकती है।

03-8-19

निबन्धक
उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण
देहरादून

निबधक
लोक सेवा अधिकरण
उत्तराखण्ड–देहरादून

वाहन संख्या UA07-H-2678 की नीलामी हेतु
नियम एवं शर्ते

1. नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण देहरादून के नजारत अनुभाग में रू0 5000/– (रू0 4500/= रिफन्डेबल तथा रू0 500 /– नॉन रिफन्डेबल शुल्क) की जमानत धनराशि, दिनांक 28.08.2019 की पूर्वाहन 11:00 बजे तक या उससे पूर्व, जमा करनी होगी। बिना जमानत धनराशि जमा कराए, नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
2. जमानत धनराशि जमा करने हेतु प्रपत्र उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण के नजारत अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
3. वाहनों का अवलोकन दिनांक 07.08.2019 से दिनांक 28.08.2019 तक उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण निकट आई0टी0आई0, निरंजनपुर सहारनपुर रोड देहरादून में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।
4. नीलामी उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण में खुली बोली की प्रक्रिया द्वारा दिनांक 28.08.2019 को अपरान्ह 01.00 बजे से की जाएगी।
5. माननीय उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण को बिना कारण बताए नीलामी की तिथि में परिर्वतन करने तथा समस्त नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. असफल बोलीदाताओं को रू0 4500/– की धनराशि का भुगतान उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण द्वारा उसी दिन कर दिया जायेगा। सफल निविदा दाता की रू0 4500/= की धनराशि, निविदा की समस्त धनराशि जमा करने तथा सामान को उठवाने के उपरान्त ही वापस की जाएगी।
7. सफल निविदा दाता को उसके द्वारा लगाये गए मूल्य के अतिरिक्त सम्बन्धित टैक्स (जैसा लागू हो) भी देना होगा। तथा सामान उठाने से पूर्व स्वयं के पहचान –पत्र की फोटोकॉपी तथा एक फोटो जमा कराना होगा।
8. नीलामी प्रक्रिया निर्धारित न्यूनतम मूल्य से ऊपर शुरू होगी।
9. वाहनों को निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर किसी भी दशा में नीलाम नहीं किया जायेगा। उच्चतम नीलामी मूल्य को भी निरस्त करने का अधिकार विभागाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।
10. समिति द्वारा स्वीकार किया गया नीलामी मूल्य तभी अन्तिम माना जायेगा जब विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर लिया जाये।
11. उत्तराखण्ड माननीय लोक सेवा अधिकरण द्वारा स्वीकार किये गये नीलामी मूल्य के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

निबंधक
लोक सेवा अधिकरण
उत्तराखण्ड–देहरादून

12. अधिकतम बोलीदाता को नीलामी समाप्ति एवं मा0 अधिकरण द्वारा निविदा की धनराशि की स्वीकृति के उपरान्त तुरन्त मा0 अधिकरण के नजारत अनुभाग में पूर्ण धनराशि नकद जमा करानी होगी। उसके उपरान्त ही वाहन को ले जाने दिया जायेगा।

13. वाहन को नीलामी स्वीकृति के तीन दिवसों के भीतर ले जाना होगा अन्यथा उसकी नीलामी निरस्त कर दी जायेगी और उसके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। तथा वाहन को पुनः नीलाम किया जायेगा।

14. बोली लगाने वाले व्यक्ति /फर्म का स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि जमानत धनराशि जमा करने से पूर्व नीलाम किये जाने वाले वाहनों का सम्यक रूप से निरीक्षण/परीक्षण कर ले। निरीक्षण /परीक्षण का अर्थ वाहन को चलाकर दिखाना या चलाकर देखने देना, कदापि नही होगा।

15. वाहन जो मा0 अधिकरण में जहां है, वैसी ही स्थिति में नीलाम किया जायेगा।

16. यदि माननीय उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, के संज्ञान में यह बात आती है कि बोलीदाताओं ने आपस में गिरोह बना लिया है या कोई सांठ–गांठ कर रखी है और वाहन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में नीलामी निरस्त/ स्थगित की जा सकती है।

17. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी कानूनी वाद का अधिकार क्षेत्र देहरादून स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

03-8-19

निबन्धक
उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण
देहरादून।

निबधक
लोक सेवा अधिकरण
उत्तराखण्ड–देहरादून